फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती जानी बाई
किस्म मुकदमा :– 212 R.T.A.

विपक्षी :– श्री मोहन लाल वगैरह
पत्रावली संख्या :– 40/19 (प्रार्थना पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.12.2019 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 की रजिस्ट्रर्ड एडी पावती पेश हुई । विपक्षी संख्या 1 को को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई । अनुपस्थित है। अतः विपक्षी संख्या 1 विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा दौराने बहस बताया कि वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर प्रार्थीया एवं 2/3 हिस्से पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा , काश्त , उपयोग–उपभोग चला आ रहा है लेकिन विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का गलत रूप अंकन कराया गया हैं एवं विपक्षीगण मुझ प्रार्थीया को मेरे खातेदारी हक, अधिकार एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से से बेदखल करने की धमकियां दे रहे है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस बताया गया की विपक्षी संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार की धमकी नही दी जा रही है और हमारे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो भी हमारे कोई आपत्ति नही है। हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर मनन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सवंत 2033–36 के खाता संख्या 129 तथा जमाबंदी सवंत 2050–53 के खाता संख्या 301 से वादग्रस्त भूमि का पैतृक संपत्ति होना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। वादपत्र में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा में प्रार्थीया को भी विपक्षी संख्या 1 व 2 के साथ–साथ पूर्व खातेदार श्री रामाजी की विधिक वारिसान होना दर्शाया गया है। ऐसे मे प्रार्थीया का भी वादग्रस्त पैतृक भूमि में हिस्सा होना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। साथ ही वादपत्र के अनुसार प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त भी है। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुआ। विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा	

से पाबंद किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर की है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यदि विपक्षी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी का बेचान कर देते है या प्रार्थीया को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में ही प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या–1, 2 को ताफैसला मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा नवानिया पटवार हल्का नवानिया भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 में आराजी नम्बर 280, 494, 1245, 1246, 1248/1, 1598, 1835, 2243, 2273, 2340, 2355, 2426, 2566, 2568, 2569, 2570, 2575, 2580, 2984, 3012, 3106, कुल किता 21 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से रहन, बैह, बक्षीस, आदि तरीको से हस्तान्तरित नही करें, प्रार्थीया को उसके हक, हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग करने, काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें । ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने नौकर चाकर एजेण्ट परिवारजन आदि से करवायें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.12.27 21:38:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: